

सं० 3550 -असि-17/पाकाले/2000-11१११एफ/86 दि० 29 नवम्बर 2000

कार्यालय ज्ञाप

पूर्ववर्ती उ० प्र० राज्य विद्युत पारेषद के आदेश सं० 3983-असि/रावेम-17/96-11१११एफ/86 दिनांक 19.10.96 द्वारा पारेषद के सेवारत कर्मचारियों/अधिकारियों एवं उन पर पूर्णतः आश्रित पारेजनों को आत्मिकता में कराई गई चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति रु० 5000/- तक अनुमन्य किए जाने का प्रावधान था। सम्यक विचारोपरान्त उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उक्त आदेश के प्रावधान पूर्ववर्ती पारेषद/कारपोरेशन के सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों एवं उन पर पूर्णतः आश्रित पारेजनों पर भी तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

निदेशक रूका. एवं प्र. १

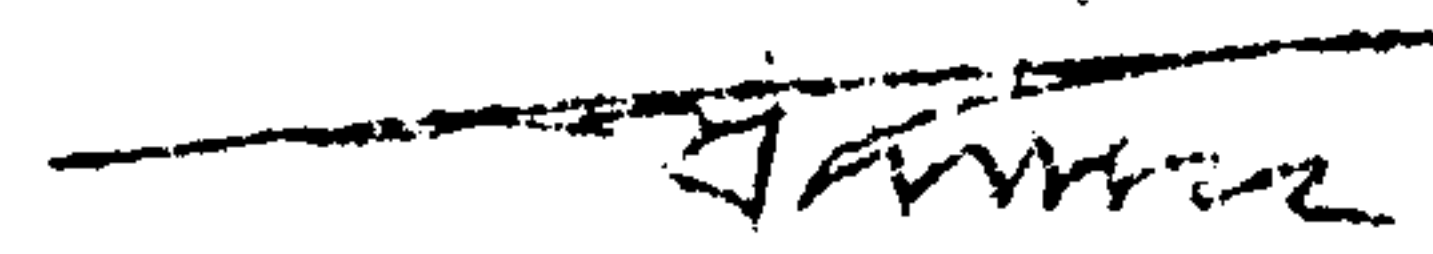
सं० -1-असि-17/पाकाले/2000 तदोदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्राप्य :-

1. मा० उर्जा मंत्री/ मा० उर्जा राज्य मंत्रालय के निजी सचिव।
2. समास्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, उ० प्र० पा० क० लि०।
3. समास्त वारेषद कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ० प्र० पा० क० लि०।
4. समास्त अधिशासी अभियन्ता, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
5. मुख्य अभियन्ता रूजल विद्युत/अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग/जॉय सोमोते उ० प्र० पा० क० लि०।
6. अनुसंधान, विस्तार एवं कार्मिक नीति, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० शांकेत भवन, लखनऊ।
7. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० लखनऊ।
8. कारपोरेशन मुख्यालय के समास्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा-तन्त्र।

आज्ञा से,


रवि प्रकाश मिश्र
कार्मिक अधिकारी